



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275211
CG-DL-E-05082026-275211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]
No. 487]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-एनजीपीएल (07)/2023 (ई-1202).—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 20 की उपधारा (3) खंड 3(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 2(एफ) के तहत डीएनपी लिमिटेड की 194 कि.मी. लंबी एवं 16 इंच व्यास की दुलियाजान-नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के रूप में घोषित करता है।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./256/2026-27]

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, 3rd August, 2026

F. No. PNGRB/Auth/2-NGPL(07)/2008 (E-1202).—In exercise of power conferred by clause (a) of Sub-Section (3) of Section 20 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby declares the 194 km x 16” Duliajan - Numaligarh Natural Gas pipeline of DNP Limited as common carrier or contract carrier under Regulation 2(f) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas pipelines) Regulations, 2008.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./256/2026-27]